

समाधान :- अनिश्चित मुख्य आर्थिक मजिस्ट्रेट (९.१)

राज्य बनाम प्रकाशचंद जैन

1251/15

19.12.2025

अभियोजन अधिभारी उपस्थित। अभियुक्त प्रकाश
P.W से जरिए न. ज. उपस्थित। अभियुक्त की
P.W की अवाही अग्रामी पेशी वास्ते बढ़ाई-
गई।

अभियोजन द्वारा प्रार्थनापत्र का जवाब चस्तुत
करने की आवश्यकता नहीं। पूर्व में विद्वान्नी अवाही
दिखा गया था। अतः आदेशित में अंतिम
अवसर इस विद्वान्नी के साथ दिया जाता है।
- कि अग्रामी पेशी पर जवाब चस्तुत नहीं करने
- पर प्रार्थनापत्र का गुणावशुल पर निस्तारण
दिया जावेगा।

चूंकि तारीख पेशी पूर्व से साइम वास्ते
डिमांड 06.01.26 की निमत है, पान्तु प्रार्थना
पत्र अंजित है, अतः अभियोजन डिमांड 06.01.26
वास्ते आदेशित गवाहान को उपस्थित करने से
Exempted। मुक्त छिए जाते हैं। इन गवाहान
वास्ते यथोचित अदिश अदिम तारीख पेशी पर
छिए जावेगे।

गवाहान वास्ते जवाब/बहल प्रार्थनापत्र
डिमांड 06.01.26 के पेश। हा

8
राज्य विधिक न्यायाधीश एम
राज्य न्यायाधीश न्याय
न्यायाधीश 1, पेशानगर जिला न्या